न्या–विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट।

उ०प्र०राज्य बनाम कृष्ण पाल

फौजदारी वाद सं०–१५२/२०१२

अप०सं०–१८६६/२००८

धारा–२/३ यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट व ३०७ आई०पी०सी०

थाना कोतवाली नगर, रायबरेली।

१४.११.२०१८–

वाद पुकारा गया। अभियुक्त कृष्ण पाल सिंह अन्य वाद में जिला कारागार उन्नाव में निरूद्ध चल रहा है। आज जेल अधीक्षक उन्नाव का रेडियोग्राम प्राप्त हुआ कि पुलिस सुरक्षा उपलब्ध न होने के कारण अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता है।

यह आपत्ति जनक है। वाद का निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुपालन में यथाशीघ्र किया जाना है। ऐसी स्थिति में जेल अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वे नियत तिथि पर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना सुनिश्चित करें।

पत्रावली वास्ते शेष मुख्य परीक्षा पी०डब्लू०–१ विनोद कुमार नियत है। परन्तु आज अभियोजन की ओर से एक प्रार्थनापत्र इस आशय से दिया गया है कि वादी मुकदमा एस०आई० विनोद कुमार की मुख्य परीक्षा दिनाँक १६.५.२०१८ को अंकित करायी गयी थी। परन्तु पत्रावली में मूल फर्द बरामदगी उपलब्ध न होने एवं माल मुकदमाती पेश नहीं किये जाने के कारण मुख्य परीक्षा स्थगित की गयी थी। अतः प्रार्थना की गयी है कि संबंधित थाने से फर्द बरामदगी व एफ०आई०आर० की प्रमाणित प्रति संलग्न करने हेतु आदेशित करने की कृपा की जाये। जिससे पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही हो सके। अभियोजन के द्वारा यह भी कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि पत्रावली लखनऊ न्यायालय से प्राप्त होते समय ही मूल फर्द एवं एफ० आई० आर० पत्रावली पर दाखिल नहीं थी। अभियोजन की ओर से यह भी कहा गया है कि अभियुक्त कृष्ण पाल के अन्य मामले एस०टी०सं०–१५१/२०१२ अप०सं०–१८६७/२००७ धारा–३/२५ आयुध अधिनियम एवं एस०टी०सं०–५७/२००८ अप०सं०–१८६८/२००७ धारा ८/१८ एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना कोतवाली से संबंधित पत्रावलियाँ भी इसी मामले से संबंधित हैं और तीनों मामलों की फर्द बरामदगी एक ही है। अतः यह प्रार्थना भी की गयी है कि उपरोक्त तीनों मामले इकजाई किये जायें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि यह पत्रावली पूर्व में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर अधिनियम लखनऊ के न्यायालय से प्राप्त हुई थी। दिनाँक १६.५.२०१८ को मामले के वादी/पी०डब्लू०–१ एस०आई० विनोद कुमार की आंशिक मुख्य परीक्षा अंकित की गयी। लेकिन पत्रावली पर मूल फर्द बरामदगी दाखिल नहीं होने एवं माल मुकदमा न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये जाने के कारण गवाह की मुख्य परीक्षा स्थगित की गयी। अभियोजन को निर्देशित किया गया था कि यह अवगत कराये कि इस वाद से संबंधित अन्य पत्रावलियों में फर्द उपलब्ध है या नहीं।

आज अभियोजन की ओर से अपने प्रार्थनापत्र में यह प्रार्थना की गयी है कि संबंधित थाने से फर्द व एफ०आई०आर० की प्रमाणित प्रति मंगायी जाये और मौखिक रूप से यह भी कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि पत्रावली लखनऊ न्यायालय से प्राप्त होते समय ही मूल फर्द एवं एफ० आई० आर० पत्रावली पर दाखिल नहीं थी।

ऐसी स्थिति में जबकि वाद का निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यथाशीघ्र किया जाना है और उपरोक्त मूल प्रपत्रों के अभाव में वाद के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है, इस कारण अभियोजन का प्रार्थना स्वीकार किये जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त एस०टी०सं०–१५१/२०१२ अप०सं०–१८६७/२००७ धारा–३/२५ आयुध अधिनियम एवं एस०टी०सं०–

५७/२००८ अप०सं०–१८६८/२००७ धारा ८/१८ एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना कोतवाली से संबंधित पत्रावलियाँ भी इसी मामले से संबंधित हैं और तीनों मामलों की फर्द बरामदगी एक ही है। उक्त पत्रावलियों में भी साथ–साथ तिथि नियत की जा रही है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तीनों पत्रावलियाँ भी एकजाई किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियोजन का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियोजन नियत तिथि २८.११.२०१८ तक एफ०आई०आर० एवं फर्द बरामदगी की सत्यापित प्रति पत्रावली पर दाखिल करे। एस०टी०सं०–१५१/२०१२ अप०सं०–१८६७/२००७ धारा–३/२५ आयुध अधिनियम एवं एस०टी०सं०–५७/२००८ अप०सं०–१८६८/२००७ धारा ८/१८ एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना कोतवाली से संबंधित पत्रावलियाँ भी इस मामले के साथ इकजाई की जाती है। इस फौजदारी वाद सं०–१५२/२०१२ की पत्रावली मुख्य पत्रावली रहेगी। इस आदेश की एक–एक प्रति दोनों मामलों की पत्रावलियों में संलग्न की जायें। अभियुक्त नियत तिथि पर उन्नाव जेल से तलब हों।

विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।
दि०–१४.११.२०१८